न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 131 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
माली समाज न्याती भवन जरीये अध्यक्ष श्री पासरमल पुत्र श्री मूलाराम जाति माली निवासी खारोड़िया वेरा बालोतरा		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 05.1.2023

01. संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी माली समाज न्याती भवन ग्राम बालोतरा की आबादी खसरा संख्या 643 की भूमि में अवस्थित है। ग्राम बालोतरा के खसरा संख्या 635, 640, 641, 642, 643 पूर्व में टीकाराम पुत्र वोताराम जाति माली के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की कृषि भूमि रही है,जिसमें खातेदार टीकाराम द्वारा स्वप्रेरणा एवं स्वैच्छा से भूमि खसरा संख्या 643 में से समाज के सार्व[illegible] हेतु माली समाज न्याती भवन के रूप में भूमि माली समाज को भेंट की तत्पश्चात [illegible] भूमि को आबादी विस्तार हेतु स्थानीय निकाय नगर पालिका बालोतरा के खाते में दर्ज हुई, तत्पश्चात नगर पालिका से माली समाज न्याती भवन के नाम परिसर का शाश्वत लीज

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भी जारी करवाई गई। माली समाज न्याती भवन का आदिनांक तक बिना दखल हस्तक्षेप उपयोग,उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है,औन न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि विवादित भूमि/भूखण्ड खसरा नम्बर 643 में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में हो रखें गलत इन्द्राज को निरस्त करवाते हुऐ,विवादित भूखण्ड/भूमि खसरा संख्या 643 आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

03. विवादित भूमि की मौका एवं रेकर्ड स्थिति की जांच ,कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में डी.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 544/2020 के आदेश की फोटोप्रति,प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डी.बी सिविल मिस. एप्लीकेशन की छायाप्रति, जमाबंदी खसरा संख्या 643 खातेदार टीकाराम की छायाप्रति, जमाबंदी खसरा संख्या 643 खातेदार स्थानीय निकाय की फोटोप्रति, [illegible] पट्टा संख्या 837 की फोटोप्रति, बिजली कनेक्शन की बिल की फोटोप्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

05. उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के [illegible] को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित लूणी नदी के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 कुल रकबा 1753.14 बीघा पर तथाकथित अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 544/2020 प्रस्तुत की गई,जिस पर प्रार्थी द्वारा D.B Civil INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 12/2020 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय की आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया,कि प्रार्थी माली समाज न्याती भवन ग्राम बालोतरा की आबादी खसरा संख्या 643 की भूमि में अवस्थित है। ग्राम बालोतरा के खसरा संख्या 635, 640, 641, 642, 643 पूर्व में टीकाराम पुत्र वोताराम जाति माली के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की कृषि भूमि रही है,जिसमें खातेदार टीकाराम द्वारा स्वप्रेरणा एवं स्वैच्छा से भूमि खसरा संख्या 643 में से समाज के सार्वजनिक उपयोग हेतु माली समाज न्याती भवन के रूप में भूमि माली समाज को भेंट की,तत्पश्चात उक्त भूमि को आबादी विस्तार हेतु स्थानीय निकाय नगर पालिका बालोतरा के खाते में दर्ज हुई, तत्पश्चात नगर पालिका से माली समाज न्याती भवन के नाम परिसर का शाश्वत लीज भी जारी करवाई गई। माली समाज न्याती भवन का आदिनांक तक बिना दखल हस्तक्षेप उपयोग,उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त विवावदित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के समीप है, न की लूणी नदी के सीमा के भीतर है,औन न ही उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि विवादित भूमि/भूखण्ड खसरा नम्बर 643 में अवस्थित है। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी का माली समाज न्याती भवन वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 643 में अवस्थित है। लेकिन राज[illegible]धिक[illegible] द्वारा समय–समय पर किये गये सर्वे में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित [illegible] माली समाज न्याती भवन को गै.मु.नदी में रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया,जो कि [illegible]दिनाक तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... बालोतरा

5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रेकर्ड व नक्शा में विवादित भूमि का गलत अंकन इन्द्राज होता आ रहा है,जो कि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि मे होने के कारण रेकर्ड व राजस्व नक्शा दुरूस्ती योग्य है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि प्रार्थी का परिसर माली समाज न्याती भवन खसरा संख्या 643 आबादी भूमि में अवस्थित होने के उपरांत भी गैर–मुमकिन नदी में दर्शा दिया गया। राजस्व अधिकारीयों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से विवादित भूमि के हितबद्व पक्षकारान को बिना सुनवाई के अवसर दिये आबादी भूमि में पटटाशुदा भूमि होने के उपरान्त भी विवादित भूखण्ड को गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी थी,जो कि सरासर गलत तथ्यो के आधार पर रेकर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी माली समाज न्याती भवन परिसर को आबादी भूमि खसरा संख्या 643 भूमि का भाग मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करवाने का आदेश फरमाया जावें।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेन्ट में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एंव पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवातें हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा [illegible] क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार [illegible] समाज न्याती भवन परिसर गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। विवादित भूखण्ड खसरा संख्या 643 में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

5/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया,कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्ठ्ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर काबिज होना बता रहे है,गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 456 गैर मुमकिन नदी है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसर भी खसरा नम्बर 747 गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है,कि प्रार्थी माली समाज न्याती भवन परिसर खसरा संख्या 643 आबादी भूमि में स्थित है,मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी के परिसर के आस–पास बने हुए [illegible] भी नगरपालिका की आबादी भूमि में है। लेकिन प्रार्थी माली समाज न्याती भवन [illegible] की आबादी भूमि में होने के उपरांत भी सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी माली समाज न्याती

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भवन परिसर नगरपालिका आबादी भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी माली समाज न्याती भवन को खसरा संख्या 643 आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शें में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर माली समाज न्याती भवन परिसर होना बता रहा है,वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 456 किस्म गैर मुमकिन नदी में आता है,इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है,जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था,जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका हैं। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर नगरपालिका बालोतरा के खसरा नम्बर 643 में है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये है,कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर नगर परिषद खसरा [illegible] भूमि में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन [illegible] की जा सकती है,इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। [illegible] पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में भूप्रबंध की स्थिति पर सरकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प./14/(28)(1)/भू.अ.। रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भूप्रबंध विभाग कि संयुक्त टीम गठित कर गत भूप्रबन्ध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 456 का भाग होना बताया गया है,जो तत्समय प्रचलित भूप्रबन्ध के रैकर्ड के अनुसार गैर–मुमकिन नदी थी। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी माली समाज न्याती भवन परिसर गैर–मुमकिन नदी का ही भाग है। जहां तक प्रार्थी वकील द्वारा तर्क दिये थे,कि विवादित भूमि/ भूखण्ड के नगर परिषद बालोतरा द्वारा पटटें जारी करने का प्रश्न है,इस संबंध में अदालत को अपनी राय रखे जाने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि अदालत को यह तय करना है,कि क्या विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख/तरमीम दुरुस्ती योग्य है अथवा नहीं,अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन–पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.1.2023 को लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:43 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 05.1.23
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा